

Clay

प्रथम पत्रक

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह जिला - बोकारो।

नीलाम पत्र मुकदमा सं० - 51/22-23

बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

सर्टिफिकेट होल्डर

बनाम

सर्टिफिकेट डेब्टर

नकुल प्रसाद भगत

अनुसूची - 14 फारम सं० - 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1 01.02.23	2 प्रबंधक सह अधियानी पदाधिकारी, बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के द्वारा देनदार नकुल प्रसाद भगत पिता-नागीरर भगत ग्राम+पो: बोंधीह भाना- जरीडीह जिला- बोकारो जिला बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि 42897/- रुपये वसूली हेतु पी0डी0आर0 एक्ट के तहत प्रपत्र 2 में अधियाचना पत्र दाखिल किया है। साथ ही कार्ट फी 3400/- रुपया दाखिल किया है। जिसकी विवरणी निम्न है 39497+3400=42897/- अधियाचना पत्र परिपूर्ण है। बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार को धारा 7 पी0डी0आर0 एक्ट के अधीन विधीवत सूचना निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 21/02/23 को उपस्थापित करे। नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह। 21/02/23 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। सुनवाई श्री अगली तिथि 14/03/23 निर्धारित श्री जाती है। नीलाम पत्र पदाधिकारी जरीडीह	3 अभि. मे 21/02/23 (1) Form 1 (2) Form 1 (3) चेक निस्ट (4) कोर्ट एपिडिक्ट 0

14/03/2023

अभिलेख उपलब्ध।

देनदार अनुपस्थित। पुनः नोटिस निर्गम करें।

अभिलेख दिनांक 13/03 को उपलब्ध करें।

निलाम पत्र निर्देशाधिकारी
जरीडीए

23/03/23

अभिलेख उपलब्ध।

कार्यलय कार्यों में व्यस्त रहने के कारण नोटिस निर्गम नहीं किया जा सका। पुनः नोटिस निर्गम करने हुए अभिलेख दिनांक ... की उपलब्ध करें।

निलाम पत्र निर्देशाधिकारी
जरीडीए

14/06/24

अभिलेख उपलब्ध।

आरक्ष प्रबंधक B.O. जैनामोड ने लिखित-रूप में सूचित किया गया कि राशि प्रतीत वसूल होकर अदा होना अब भी जारी है। Certificate holder के प्रतिवेदन के आधार पर Certificate case समाप्त की जाती है।

14/06/24
निलाम पत्र निर्देशाधिकारी
जरीडीए